



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042026-271670
CG-DL-E-09042026-271670

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1704]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 2026/चैत्र 18, 1948

No. 1704]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 2026/CHAITRA 18, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2026

का.आ. 1772(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4457 (अ) दिनांक 13 दिसंबर, 2019 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को झारखंड राज्य में एनएच-75 के रांची-पिस्का मोरे- बिजूपारा खंड के डिजाइन किमी. 3.600 से किमी. 55.00 (मौजूदा किमी. 3.600 से किमी. 55.000) तक चार लेन के उपयोग के लिए (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है,

और जबकि, उक्त अधिसूचना को भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में की अधिसूचना का.आ. 1158 (अ), दिनांक 16 मार्च, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4457 (अ), दिनांक 13.12.2019, जो भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसे बाद में दिनांक 16 मार्च, 2022 के का. आ. 1188 (अ) द्वारा संशोधित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

i उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ-1 निम्नानुसार संशोधित होगा:

“अब, इसलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 (जिसे इसके बाद "नियम" कहा गया है) के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा झारखंड राज्य में एनएच-75 (नए एनएच-39) के रांची-पिस्का मोरे-बिजुपाड़ा खंड के तक चार या अधिक लेन खंड के उपयोग के लिए के डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 55.000 (मौजूदा किमी. 0.000 से किमी. 55.000) तक 52.288 किलोमीटर [सारणी 2] की निवल सड़क लंबाई और 27.120 किलोमीटर (जिसकी संरचना की लंबाई 60 मीटर से अधिक है) (जिसकी संरचना की लंबाई 2.712 किलोमीटर [सारणी-3] है) की समतुल्य संरचना लंबाई के लिए सारणी 1 के कॉलम (2) में निर्दिष्ट दरों पर उक्त शुल्क उद्धृति करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् -:

ii उक्त अधिसूचना में, बिंदु 1 के तहत, सारणी -2 को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:

सारणी -2.1		
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
झारखंड राज्य के रांची जिले के हेस्मी (मंदार) गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग-75 (नया एनएच-39) के डिजाइन किमी. 29.375 पर।	52.288 कि.मी. (60 मीटर से अधिक लंबाई की संरचनाओं को छोड़कर)	उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %, चार या अधिक लेन के लिए

iii. उक्त अधिसूचना में, निम्नलिखित बिंदु शामिल किया जाएगा, अर्थात्:

1.2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समतुल्य गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:

सारणी -2.2			
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
झारखंड राज्य के रांची जिले के हेस्मी (मंदार) गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग-75 (नया एनएच-39) के डिजाइन किमी. 29.375 पर।	2.712*	27.12	उपरोक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों के चार या अधिक लेन के लिए 100%

व्यौरा इस प्रकार है:

चेनेज(एनएच -75)		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
किलोमीटर से	किलोमीटर तक		
0+637	3+349.243	वायाडक्ट	2.712

iv. उक्त अधिसूचना में, बिंदु 9 को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:-

"9. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 995.68 करोड़ रुपए है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यक्षीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।"

उपरोक्त संशोधन झारखंड राज्य में एनएच-75 पर 0.000 किमी से 3.600 किमी तक एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के बाद प्रभावी होगा।

[फा. सं. जेएचडीआईवी-20020/73/2025-पीआईयू रांची/ई-263710]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th April, 2026

S.O. 1772(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.4457 (E) dated the 13th December, 2019, Central Government has authorised National Highway Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority") to collect, either through its officials or through a contractor for the use of four lane of Ranchi-Piska More –Bijupara Section from Design Km. 3.600 to Km. 55.00 (Existing Km. 3.600 to Km. 55.000) of NH-75 in the State of Jharkhand.

And whereas, the said notification was amended vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways bearing number S.O. 1188 (E), dated the 16th March, 2022.

Now, in exercise of powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes following further amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways bearing S.O. No. 4457 (E) dated 13.12.2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), and subsequently amended by S.O. 1188 (E), dated the 16th March, 2022, namely: -

i. In the said notification, Paragraph-1 shall stand revised as under:

"Now, therefore, in the exercise of the powers conferred by section 7 of the national Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules", the Central Government hereby levies the fee at the rates specified in column (2) of Table 1 for net road length of 52.288 kms [Table 2] and for equivalent structure length of 27.120 kms (having length more than 60m) (having length of structure 2.712 kms [Table-3]) for the use of four or more lane section of Ranchi-Piska More-Bijupara Section from design km. 0.000 to km. 55.000 (existing km. 0.000 to km. 55.000) of NH-75 (New NH-39)in the state of Jharkhand and authorises the authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:- "

ii. In the said notification, under Point 1, the Table-2 shall stand revised as under:-

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which fee is payable	Rate at which fee is payable
At design km. 29.375 of National Highway-75 (New NH-39) at Hesmi (Mandar) Village of Ranchi District in Jharkhand State.	52.288 km. (Excluding length of structures >60 m)	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in table-1 above

iii. In the said notification, the following point shall be inserted, namely: -

1.2 In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10: -

Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of Structure (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At design km. 29.375 of National Highway-75 (New NH-39) at Hesmi (Mandar) Village of Ranchi District in Jharkhand State.	2.712*	27.12	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

*The Details are as under: -

Chainage (NH-75)		Type of Structure	Length (in km)
From Km	To Km		
0+637	3+349.243	Viaduct	2.712

iv. In the said notification, Point-9, shall be revised as under:-

"9. The estimated capital cost of the project is **Rupees 995.68 crores**. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc., are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain the record of the recovery of capital cost through user fee realised."

The above amendment shall come into effect after construction of Elevated Corridor from Km. 0.000 to Km. 3.600. on NH-75 in the state of Jharkhand.

[F. No. JHDIV-20020/73/2025-PIU Ranchi/E-263710]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.